

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 146/2017/जयपुर
अपील संख्या 147/2017/जयपुर
अपील संख्या 148/2017/जयपुर
अपील संख्या 149/2017/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन,
संभाग-तृतीय, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम्
मैसर्स एनसोल मल्टीक्लीन एक्यूपमेन्टस प्रा.लि.,
401, नीलकंठ, सहकार भवन के सामने,
भवानी सिंह रोड, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री पंकज घीया,
अधिकृत अभिभाषक

.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.08.2018

निर्णय


1. अपीलार्थी-राजस्व द्वारा ये अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25,26,56 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई है जिनका विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

क्र. सं.	अपील सं.	अपी. अधि. की अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष एवं आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि
1	146/2017	11	12-13/17.02.2016	8,70,852	3,39,632	17,41,704	29,52,188
2	147/2017	12	13-14/17.02.2016	23,73,968	6,40,971	47,47,936	77,62,875
3	148/2017	13	14-15/17.02.2016	11,66,153	1,74,923	23,32,306	36,73,382
4	149/2017	14	15-16/17.02.2016	14,31,837	1,28,865	28,63,674	44,24,376

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी कम्पनी का सर्वेक्षण दिनांक 08.07.2015 को विभागीय जांच दल द्वारा किया गया था। सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण उपरांत

sm



लगातार

2

जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Hydraulic Automobile body, Multi purpose Automobile body, Multiclean Equipment, Motor Vehicle and Garbage Container आदि का विनिर्माण एवं क्रय-विक्रय का व्यवसाय किया जाता है। सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण पश्चात् जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Garbage Container का निर्माण किया जाकर इनका विक्रय आरवेट अधिनियम की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 128 के तहत कर मुक्त दर्शाकर किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा विक्रीत उत्पाद Garbage Container को आरवेट अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में वर्णित नहीं होने के कारण अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर से कर योग्य होना मानकर उपर्युक्त तालिका अनुसार पारित आदेशों में कर का करारोपण किया गया है तथा इस क्रम में ब्याज का आरोपण किया गया है। व्यवहारी द्वारा करारोपण किया जाना मानकर पारित आदेशों में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की अपवंचना किये जाने पर शास्ति का प्रावधान है। कर निर्धारण अधिकारी ने करारोपण मानकर शास्ति आरोपित की है जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि कारित की है। इन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को शास्ति के बिन्दु पर विधिविरुद्ध बताया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी-राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा Garbage Container का विक्रय आरवेट अधिनियम की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि सं 128 के तहत करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में विधिक रूप से किया गया है। उन्होंने कथन किया कि बिक्रीत विवादित उत्पाद एक प्रकार का बॉक्स है जो कि आयरन से निर्मित वस्तु है तथा प्रविष्टि सं 128 में वर्णित वस्तु होने के कारण करमुक्त है उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है विवादित वस्तु प्रविष्टि सं 128 से किस प्रकार से आच्छादित नहीं है। आरवेट अधिनियम की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि सं 128 में बॉक्स की साईज, शेष एवं डिजाइन के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः निर्मित बॉक्स किसी भी साईज, शेष एवं डिजाइन में होने के उपरांत भी वह बॉक्स ही रहता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल आरवेट अधिनियम की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि सं 128 से आच्छादित वस्तु होने के कारण इस पर कोई कर की देयता नहीं बनती थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की धारणा को सही नहीं मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है। अपीलार्थी द्वारा समस्त संव्यवहारों का इंद्राज अपनी नियमित लेखा बहियात में किया गया है व

बिक्रीत वस्तु कर योग्य है या नहीं, का विवादित बिन्दु है जिससे व्यवहारी के प्रकरण में धारा 61 की शास्ति आरोपित नहीं होती है। अपने तर्कों की पुष्टि में इन्होंने (2009) 23 वीएसटी 249, (2012) 32 टीयूडी 3 एवं एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 42/2014 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2014 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. अपीलार्थी कम्पनी का सर्वेक्षण दिनांक 08.07.2015 को विभागीय जांच दल द्वारा किया गया था। सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण उपरांत जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Hydraulic Automobile body, Multi purpose Automobile body, Multiclean Equipment, Motor Vehicle and Garbage Container आदि का विनिर्माण एवं क्रय-विक्रय का व्यवसाय किया जाता है। सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण पश्चात् जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Garbage Container का निर्माण किया जाकर इनका विक्रय आरवेट अधिनियम की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 128 के तहत कर मुक्त दर्शाकर किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा विक्रीत उत्पाद Garbage Container को आरवेट अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में वर्णित नहीं होने के कारण अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर से कर योग्य होना मानकर उपर्युक्त तालिका अनुसार पारित आदेशों में कर का करारोपण किया गया है तथा इस क्रम में ब्याज का आरोपण किया गया है। व्यवहारी द्वारा करारोपण किया जाना मानकर पारित आदेशों में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार इस खण्डपीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रकरणों में शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिए या नहीं।

9. विचाराधीन प्रकरणों में यह निर्विवादित तथ्य है कि कोई संव्यवहार बिना जमा खर्च का नहीं पाया गया है। समस्त संव्यवहारों का इंद्राज अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में दर्ज है। प्रकरणों में विवादित बिन्दु वस्तु विशेष के करमुक्त अथवा कर योग्य होने से संबंधित है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है।

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ. ए.ई. श्रीगंगानगर बनाम मै. दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, wherer a debatable question was agitated by the

respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% imput tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-Assessee."

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोन-1, जयपुर बनाम मैसर्स श्याम एजेन्सी एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 42/2014 निर्णय दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

".....Reverting to the facts fo the present case, the Tax Board has held that during the period relevant to assessment of tax as against the assessee under the 2003 Act, it was an admitted fact that all sale transactions conducted by the assessee in the year relevant to levy of tax in the State of Rajasthan were indicated in its books of accounts and also duly invoiced. There was no attempt to defraud the revenue by any concealment or misinformation,. No finding of reckless / malafide classification sought with regard to the goods sold has been arrived at. The dispute between the assessee and the revenue was bonafide and related merely to the issue of classification and consequent rate of tax under the 2003 Act leviable on the sale of goods by the assessee i.e. "Priyagold TM Toffito Mango Cream Toffee". The dispute was therefore a bonafide one as to the interpretation/ classification of the products sold by the asessee for the purpose of levy of tax. Such a dispute did not supply any of the pre conditions for levy of penalty under Section 61 of the 2003 Act,. The Tax Board has, for the principle on which penalty can be levied, relied upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra). Oddly the revision petition does not even have a whisper of a reason for the purported inapplicability of the aforesaid judgment to the matter in issue before the Tax Board. Quite apparently, the petitioning revenue department seeks to overlook the facts of the case and the clear enunciation of law by the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra) as also elsewhere and mechanically agitate this misdirected revision petition. The question of law as sought to be agitated stands already settled by the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the cases of Bharjatiya Steel Industries (supra) and Shree Krishna Electricals (supra).

I find force in the revision petition. Accordingly, dismissed....."

12. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै. श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू एवं अन्य (2009) 23 वीएसटी 249 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि :-

" So Far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealers own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stand set aside."

13. विचाराधीन प्रकरणों में बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा यह तथ्य भी ध्यान में लाया गया कि प्रकरणों में एमनेस्टी स्कीम, 2017 के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा लाभ प्राप्त कर लिया गया है जिससे प्रकरण समाप्त हो गये है। इस संबंध में उपराजकीय अभिभाषक के माध्यम से रिपोर्ट चाहने पर उनके द्वारा उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग तृतीय, जयपुर के पत्र क्रमांक 6507 दिनांक 08.08.2018 की प्रति प्रस्तुत की जिसमे यह कथन किया गया है कि मै. एनसोल मल्टीक्लीन इक्वूपमेन्ट प्रा.लि. भवानी सिंह रोड, जयपुर के विरुद्ध वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कायम मांग राशि को एमनेस्टी स्कीम, 2017 के द्वारा दिनांक 29.05.2017 को समाप्त किया गया है। अब व्यवहारी के विरुद्ध कोई मांग राशि बकाया नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा व्यवहारी को एमनेस्टी स्कीम, 2017 का लाभ दे दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम, 2017 जो वित्त विभाग (टैक्स डिवीजन) अधिसूचना क्रमांक एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2017-92 दिनांक 08.03.2017 द्वारा जारी हुई है, का संबंधित बिन्दु सं. 5(5) निम्न प्रकार है :-

5(5) Where any demand is outstanding against the dealer and **the case has been filed by the department**, in such cases, the applicant may opt for this scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the table mentioned in clause 4, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case and **the case shall be withdrawn by the department.**

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार यदि किसी व्यवहारी द्वारा एमनेस्टी स्कीम में राशि जमा करवाई जाती है तो विभाग द्वारा प्रस्तुत एवं लंबित वाद विद्वान किया जाना चाहिए। विचाराधीन प्रकरणों में भी जब एमनेस्टी स्कीम का लाभ देकर प्रकरण समाप्त कर दिये गये है तो लंबित इन अपीलों को विभाग द्वारा विद्वान किया जाना चाहिए था। इस दृष्टिकोण से विचाराधीन अपीलों प्रभावशून्य है।

14. इस प्रकार समस्त संब्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज होने एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में विधिक रूप से शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती तथा विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम का लाभ दे दिये जाने के कारण विचाराधीन अपीलों प्रभावशून्य भी हो गयी है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

16. निर्णय सुनाया गया।

(नैथूराम)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य